बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

MCRCA No. 1143 of 2024

1- गुरुचरण सिंह होरा पुत्र स्वर्गीय श्री अजीत सिंह होरा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी सी-39, 40, 41, सेक्टर-04, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 - तरनजीत सिंह होरा पुत्र गुरुचरण सिंह होरा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी सी-39, 40, 41, सेक्टर-04, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 - गुरमीत सिंह भाटिया पुत्र स्वर्गीय श्री महल सिंह भाटिया, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी सी-28, 29, सेक्टर-05, देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। (ऑर्डर शीट में गलत तरीके से सी-39 के रूप में उल्लेखित)

... आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन-देवेंद्र नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

... गैर-आवेदक

आवेदक के लिए: श्री अनिल खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रियांक अग्रवाल और अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता।

गैर-आवेदक/राज्य के लिए श्री यू.के.एस. चंदेल, उप महाधिवक्ता।

आपत्तिकर्ता के लिए: श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रितिका दुबे, अधिवक्ता।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

17.10.2024

1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के तहत यह पहली अग्रिम जमानत याचिका आवेदक द्वारा दायर की गई है, जो पुलिस स्टेशन-देवेंद्र नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में भारतीय दंड संहिता की धारा 409/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत अपराध क्रमांक 298/2024 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं।

2 अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता अभिषेक अग्रवाल ने सहायक उपनिरीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी गुरुचरण सिंह होरा, तरनजीत सिंह होरा और गुरमीत सिंह भाटिया ने धोखाधड़ी की और पगारिया कॉम्प्लेक्स, रायपुर (छ.ग.) स्थित हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जबरन कब्जा कर लिया और बाद में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कंपनी का नाम बदलकर ग्रैंड अर्श रख दिया।

3 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में दावा किया है कि आवेदक नंबर 1 का कंपनी में हस्तक्षेप 2019-2020 से बढ़ गया है, अर्थात राज्य में सरकार बदलने के बाद, हालांकि वे इस संबंध में विलंबित शिकायत को सही ठहराने में विफल रहे हैं, तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं करने का कोरा आरोप लगाकर, शिकायतकर्ता केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान आवेदक संख्या 3 ने पहले ही वर्तमान शिकायतकर्ता यानी श्री अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ़ 10.06.2020 और 26.06.2020 को क्रमशः एफ़आईआर संख्या 51/2020 और एफ़आईआर 391/2020 दर्ज की थी, जिसमें अन्य निदेशकों के साथ मिलकर कंपनी के घातीय निधियों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए गबन करने और कंपनी को भारी नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने विवादों के निपटारे के लिए खुद श्री गजराज पगारिया से संपर्क किया था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने विरोधाभासी बयान दिया है कि श्री गजराज पगारिया के घर पर बैठक के दिन, आवेदक संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को आवेदक संख्या 1 को अपनी 16.33% हिस्सेदारी बेचने की धमकी दी और ऐसी धमकियों के प्रभाव में शिकायतकर्ता और उसके पिता ने श्री गजराज पगारिया की उपस्थिति में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता का पूरा दावा आधारहीन हो जाता है, क्योंकि यह उनके प्रस्ताव और स्वतंत्र इच्छा के कारण था कि तीसरे पक्ष के मध्यस्थ श्री गजराज पगारिया की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन के माध्यम से समझौता हुआ था और वे इसके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए, वह आवेदक को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना करता है।

4 विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

5 आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों को अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों/आवेदकों ने धोखाधड़ी की तथा पगारिया कॉम्प्लेक्स, रायपुर (छ.ग.) स्थित हैथवे सी.सी.एन. मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जबरन कब्जा कर लिया तथा बाद में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कंपनी का नाम बदलकर ग्रैंड अर्श रख दिया। इसलिए, वे आवेदक अग्रिम जमानत दिए जाने के हकदार नहीं हैं।

6 मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा रिकार्ड में लिए गए सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है, यह न्यायालय गुण-दोष पर कोई और टिप्पणी किए बिना आवेदकों को अग्रिम जमानत देना उचित समझता है।

8 तदनुसार, तत्काल एमसीआरसीए को अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक संख्या 1, 2 और 3 - गुरुचरण सिंह होरा, तरनजीत सिंह होरा और गुरमीत सिंह भाटिया की गिरफ्तारी की स्थिति में, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए समान राशि में एक स्थानीय जमानतदार के साथ व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर, उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(क) वे मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे, जिससे कि वे न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाएं।

(ख) वे किसी भी तरीके से ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ग) वे मुकदमे के निपटारे तक उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई प्रत्येक तारीख को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे।

(घ) आवेदक और जमानतदार अपने आधार कार्ड की एक प्रति, आधार संख्या मुद्रित रंगीन पोस्टकार्ड पूर्ण आकार की फोटो के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(ई) वे भविष्य में इसी प्रकार के किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे।

Sd/-
(Ramesh Sinha)
CHIEF JUSTICE